न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 623 सन् 2009

विरेन्द्र राय.....वादी

बनाम

दिनदयाल राय व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 06.10.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 08.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का कथन है कि वाद के दरम्यान प्रतिवादी सं0 2 श्रीमती सुरसती देवी जौजे–कालिका बैठा का निधन दिनांक 05.12.2020 को हो गई। उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं0 2 सुरसती देवी के स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपसमन अपास्त करने हेतु एवं विलंब को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत भी आवेदन दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन है कि वादी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। प्रतिवादी सं0 2 न तो उनके फरीक है न ही उनके नजदिकी हैं। फलस्वरूप उनके मुत्यु की जानकारी वादी को ससमय नहीं हो सकी। वादी को मृत्यु की जानकारी इस वाद के चर्चा के कम में कुछ नजदिकी लोगों से हुई। इसी बीच कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन के कारण वादी

प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किए हैं। अतः विलंब को माफ करने हेतु एवं उपसमन को अपास्त कर आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में प्रतिवादी सं0 2 सुरसती देवी पक्षकार थे जिनकी मृत्यु के संबंध मं यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से दाखिल किया गया है। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है और मात्र 4 दिनों के विलंब से दाखिल किया गया है। वादी की ओर से विलंब को माफ करने हेतु तथा उपसमन को अपास्त करने हेतु भो आवेदन दाखिल किया गया है। जिसे न्यायहित में स्वीकृत करते हुए एवं विलंब को माफ करते हुए प्रतिस्थापना आवेदन को 500/— रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा कर प्रतिवादी सं0 2 का नाम वादपत्र से कलमजद करते हुए उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें

वाद दिनांक 27.10.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।